

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-121 /ग्यारह-9(1)/08-30प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(71)-2011
दिनांक: 31 मार्च, 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

(क) अनुसूची-एक में, क्रम संख्या 2, 19, 27 एवं 52 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः स्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थात:-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
2	विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले सहायक यन्त्र एवं उपकरण जिसमें मोटराइज्ड व नान-मोटराइज्ड ट्राइसिकिल शामिल हैं।
19	ताजी सब्जियाँ एवं ताजे फल जिसमें ताजी मशरूम, आलू, प्याज, लहसुन एवं अदरक सम्मिलित हैं ; सील्ड या टिन कन्टेनर में या होटल या रेस्टोरेंट में बिकी किये जाने वाले रस से भिन्न ताजा गन्ने का रस एवं ताजे फलों का रस।
27	पापड़, आम पापड़ चावल की बनी कचरी, सिवईयाँ, मुंगौड़ी और बड़ी जिसमें सोयाबीन मुंगौड़ी व सोयाबीन बड़ी सम्मिलित हैं।
52	तीन सौ रुपये अथवा उससे कम के अधिकतम फुटकर मूल्य (MRP) के फुटवियर किन्तु इसमें प्लास्टिक फुटवियर, हवाई चप्पल एवं इनके स्ट्रैप सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) अनुसूची-दो में, भाग-क में, क्रम संख्या 4, 5, 19, 28, 41, 62, 71, 83, 109 एवं 116 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः स्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थात:-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
4	समस्त धातुओं की कास्टिंग जिसमें अनफिनिशड एवं अनमशीन्ड मेनहोल कवर सम्मिलित हैं, अनुसूची-तीन में वर्णित वस्तुओं से भिन्न किसी भी धातु या एलाय से निर्मित चैन
5	मार्बल गुड्स जिसमें अधिकतम फुटकर मूल्य रुपये छः सौ तक की कीमत की संगमरमर की मूर्तियाँ एवं अधिकतम फुटकर मूल्य रुपये छः सौ तक की कीमत की संगमरमर की हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण बिना विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया गया हो, सम्मिलित नहीं हैं; तौबा या ब्रास से निर्मित दीपक; ब्रास से निर्मित मूर्ति; वूलन कार्पेट; कप, ट्राफी, बैज, मेडल एवं शील्ड; कैंची ; नाईयों के द्वारा प्रयोग किये जाने वाला उस्तरा ; पैडलाक ; रामपुरी चाकू।
19	बाइसिकिल, ट्राइसाइकिल, साइकिल रिकशा तथा इनके पार्ट्स, कम्पोनेन्ड्स, एक्सेसरीज, टायर एवं ट्यूब
28	वाटर हैन्डलिंग में प्रयोग होने वाले सेंट्रीफ्यूगल पम्प, मोनो ब्लाक पम्प, सबमर्सिबिल पम्प, दस हार्स पावर तक के डीजल इंजन पम्प सेट एवं इनके पार्ट्स जिसमें होज कालर, होज साकेट, होज कनेक्टर्स, होज क्लिक, होज निपल, फुट वाल्व एवं डेल्टा स्टर्टर शामिल हैं।
41	ड्रग्स एवं मेडीसिन जिसमें टीका, सिरिंजेज एवं ड्रेसिंग, औषधीय लेप, आई0पी0 स्तर का हल्का लिक्विड पैराफिन सम्मिलित हैं; चूरन; होम्योपैथी में चिकित्सीय उपयोग हेतु शुगर पिल्स ; ह्यूमन ब्लड कम्पोनेन्ड्स ; सी0ए0पी0डी0

	फूड ; साइक्लोस्पोरीन।
62	राइस पालिस, राइस ब्रान एवं राइस हस्क।
71	ब्रिक्स जिसमें फ्लाई ऐश ब्रिक एवं फायर क्ले ब्रिक्स सम्मिलित हैं ; मौसंग, रामरज और गेरु।
83	प्लास्टिक फुटवियर ; हवाई चप्पल एवं इनके स्ट्रैप्स।
109	सैन्ड, ग्रेट, बजरी, कंकड़, स्टोन ब्लास्ट, स्टोन जिसमें ग्लेज्ड स्टोन, मार्बल एवं मार्बल चिप्स सम्मिलित नहीं हैं।
116	समस्त प्रकार के मसाले एवं कान्डीमेन्ट्स जिसमें क्यूमिन सीड, टरमरिक, अजवायन, हल्दी, धनिया, हींग, मैथी, सौंठ, कलौजी, सौंफ, खटार, अमचूर, लौंग पत्ता, दालचीनी, तेजपत्ता, जावित्री, जायफल, कालीमिर्च, सभी प्रकार की इलायची, सूखी मिर्च, काकुल मिर्च, आरारोट, प्रोसेस्ड अथवा प्रीजर्व्ड मशरूम, खुम्बा एवं गुच्छी, गोला, गोले का बुरादा, सीक नारियल, तिल, राई, पोस्तादाना, सभी प्रकार के मगज, केसर, मेवा।

(ग) अनुसूची-दो में, भाग-ख में,

क्रम संख्या 4, 15, 28 एवं 29 में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः स्तम्भवार रख दी जाएगी, अर्थात:-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
4	ध्वनि रिकार्डिंग हेतु तैयार किया गया अनरिकार्डेड मीडिया अथवा उसी प्रकार की रिकार्डिंग अथवा अन्य प्रक्रिया जिसमें काम्पेक्ट डिस्क (CD) एवं डिजिटल वसेंटाइल डिस्क (DVD) भी है ; रिकार्डेड सीडी एवं रिकार्डेड डीवीडी
15	डाटा/ग्राफिक डिस्केट्स ; टीवी पार्ट्स, पिकचर ट्यूब्स एवं उनके पुर्जे जिसमें यूनीवर्सल रिमोट कंट्रोल इन्स्ट्रुमेंट को छोड़कर अन्य सभी रिमोट कंट्रोल इन्स्ट्रुमेंट सम्मिलित हैं।
28	सेल फोन्स एवं उसके पुर्जे जिसमें रुपये दस हजार से अधिक खुदरा मूल्य के सेल फोन सम्मिलित नहीं हैं।
29	सिम कार्ड

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।